ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 29.11.2007 से 31.3.2015

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के अन्तर्गत प्रदेश की परिवहन विभाग से सम्बन्धित ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर, जिला किन्नौर के अवधि 29.11. 2007 से 31.03.2015 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 30.04.2015 से 11.05.2015 के दौरान भाबा नगर में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है।

(ख) ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबानगर के लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

Year	Income	Expenditure
2008-09	08/08	03/09
2009-10	10/09	03/10
2010-11	11/10	01/11
2011-12	10/11	01/12
2012-13	05/12	09/12
2013-14	06/13	06/13
2014-15	03/15	03/15

(ग) अंकेक्षण अवधि 11/07 से 03/15 के दौरान उप–मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर के पद पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत रहेः–

Sr. No.	Name	Period
1	Sh. R.R. Verma	23.03.07 to 02.03.09
2	Sh. Sanjay Sharma	12.03.09 to 22.05.11
3	Sh. Bhupender Kumar Atri	23.05.11 to 05.05.12
4	Sh. Vivek Chauhan	07.05.12 to 20.04.13
5	Sh. Sudesh Kumar Mokhta	23.04.13 to 24.02.14
6	Sh. Vivek Bhatia	03.03.14 to 15.06.14
7	Miss Neelam Dulta	19.06.14 to till date

(घ) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	अवधि 29.11.07 से 31.07.08 के दौरान सोसाईटी की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क की आय–व्यय का विवरण रोकड़ बही में लेखाकिंत न करना एवं अवधि 1.8.08 से 31.3.15 के दौरान प्राप्त सेवा शुल्क की राशि में से ₹480540/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना सीधे	विवरण पैरे में दिया गया है

		ही केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजा जाना तथा आर0ए0ए0 (निचार) द्वारा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई सेवा शुल्क की 75**%** राशि तथा केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओं द्वारा आर0एल0ए0 (निचार) को समय–2 पर भेजी गई राशि का केन्द्रीय ईकाई अभिलेख से मिलान न किया जाना	
2	7	परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25**%** भाग के रूप में राशि को परिवहन विभाग के खाते में जमा न करवाए जाने बारे	1.02
3	9	विभिन्न मदों की खरीद करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टि किए बिना ही इनका उपयोग किये जाने बारे	0.82
4	10	निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना ही खुले बाजार से खरीद करना	0.53

(ङ) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेखके आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्क

ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर, जिला किन्नौर के अवधि 11/07 से 03/15 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹12000/– आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11/2015 दिनांक 11.05.15 द्वारा उप–मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैनस सोसाईटी आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई–गवर्नैनस सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर, जिला किन्नौर द्वारा परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाऐं भी प्रदान की जा रही है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के ई–प्रमाण पत्र जारी करना तथा विभिन्न आर0एल0ए0 के फार्म की बिक्री इत्यादि से प्राप्त आय तथा इन सभी सेवाओं को प्रदान करने से प्राप्त सेवा शुल्क को समेंकित/इकटठा एक ही रोकड़ बही में लेखकित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय से समस्त व्यय भी इकटठा ही किया जा रहा था। परिणामस्वरूप ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गई है, अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों की समेकित वित्तीय स्थिति तैयार की गई थी, जोकि

परिशिष्ट "क" पर दी गई है, जिसमें केन्द्रीय ईकाई किन्नौर से प्राप्त ₹125684/– भी सम्मिलित है **(परिशिष्ट "क–1")।** अतः सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात की परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त आय/सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके, परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तीय स्थिति तैयार की जाए, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) उप–मण्डल (ना0) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गयाः–

(i) E-Governance Soceity (Nichar) Bhaba Nagar द्वारा अपना कार्य दिनाँक 29.11.07 से आरम्भ किया था।

(ii) E-Governance Soceity (Nichar) Bhaba Nagar की रोकड़ बही दिनाँक 01.08.08 से आरम्भ की गई है। रोकड़ बही में कुल एकत्रित राशि का 25**%** भाग ही लेखाकिंत किया गया था तथा शेष 75**%** भाग E-Governance Soceity (Central Unit) Reckongpeo, DC Office Kinnaur को भेजा गया था।

(iii) E-Governance Soceity (Nichar) Bhaba Nagar की आय में परिवहन गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के अतिरिक्त E-Parman (ई–प्रमाण) RLA Forms की बिक्री इत्यादि से एकत्रित सेवा शुल्क भी सम्मिलित किया गया है और इन सभी गतिविधियों से सम्बन्धित आय तथा उसमें किए गए समस्त व्ययों का लेखांकन इकटठा ही किया गया था।

(iv) E-Governance Soceity (Nichar) Bhaba Nagar की एकत्रित आय को दिनाँक 31.03.2015 तक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (सीमित), Bhaba Nagar के खाता संख्या 25120100108 में जमा किया गया था।

(v) E-Governance Socity (Nichar) Bhaba Nagar की आय से कोई भी राशि दिनांक 31.03.15 तक सावधि (FDR) में निवेशित नहीं की गई थी।

(vi) E-Governance Socity (Nichar) Bhaba Nagar द्वारा अवधि 29.11.07 से 31.03.15 के दौरान E-Governance Soceity (Central Unit) Reckongpeo, DC Office Kinnaur से किसी भी प्रकार का कोई Stock एवं Store की मदों को प्राप्त नहीं किया गया था।

(vii) अवधि 29.11.07 से 31.03.15 के दौरान E-Governance Society (Nichar) Bhaba Nagar के Stock एवं Store का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) नहीं किया गया था।

4 नियमों के अनुसार लेखों का रख–रखाव न करने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नैन्स दिनांक 03.09.05 में दिये गये निर्देशों के अनुसार, सोसाईटी द्वारा प्रत्येक वर्ष के अन्त में Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार करनी अपेक्षित थी, जबकि सोसाईटी द्वारा न तो वर्ष के अन्त में Income & Expenditure Statement तैयार की गई और न ही Balance Sheet तैयार की गईं। अतः परामर्श दिया जाता है कि नियमों की अनुपालना

करते हुये प्रत्येक वर्ष की Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जाए और आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5 प्राप्त राशि को बैंक के चालू खाते (Current Account) में जमा करवाये जाने के कारण ब्याज की सम्भावित हानि

ई–गवर्नैनस सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर, जिला किन्नौर की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क की राशि और उससे सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सेवा शुल्क की प्राप्त कुल राशि का 75**%** भाग केन्द्रीय ईकाई को भेजने के पश्चात शेष 25**%** भाग को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक समिति की स्थानीय शाखा के चालू खाता (Current Account) संख्या 25120100108 में जमा करवाया गया था। प्रचलित नियमों के अनुसार चालू खाते में बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता, जबकि बचत खाते (Saving Account) में जमा राशि पर प्रचलित दर से ब्याज दिया जाता है। अतः 25**%** भाग को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित की स्थानीय शाखा के चालू खाता (Current Account) संख्या 25120100108 में जमा करवाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4/15 दिनांक 01.05.15 द्वारा अंकेक्षण द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में सोसाईटी द्वारा पत्र संख्या NCR-E-GOV/2015-1373 DT 11.05.15 द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण द्वारा आपत्ति दर्ज करने के उपरान्त दिनांक 02.05.15 को चालू खाता (Current Account) संख्या 25120100108 में जमा समस्त राशि को बचत खाता (Saving Account) संख्या 2511011111246 में जमा करवा दिया गया।

6 अवधि 29.11.07 से 31.07.08 के दौरान सोसाईटी की विभिन्न गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क की आय–व्यय का विवरण रोकड़ बही में लेखाकिंत न करना एवं अवधि 1.8.08 से 31.3.15 के दौरान प्राप्त सेवा शुल्क की राशि में से ₹480540/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना सीधे ही केन्द्रीय ईकाई रिकांगपियो को भेजा जाना तथा आर0ए0ए0 (निचार) द्वारा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई सेवा शुल्क की 75% राशि तथा केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओं द्वारा आर0एल0ए0 (निचार) को समय–2 पर भेजी गई राशि का केन्द्रीय ईकाई अभिलेख से मिलान न किया जाना

(क) E-Governance Society RLA (Nichar) Bhaba Nagar के सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि भाबा नगर में E-Governance Society की गतिविधियाँ दिनाँक 27.11.07 को शुरू करने के उपरान्त दिनाँक 27.11.07 से ही सेवा शुल्क के रूप में आय एकत्रित की गई थी, परन्तु अवधि 27.11.07 से 31.07.08 के दौरान आय–व्यय का विवरण रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया। सोसाईटी द्वारा सेवा शुल्क की आय–व्यय का लेखांकन माह 8/08 से ही रोकड़ बही में लेखाकिंत करना शुरू किया गया था। इस सन्दर्भ में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस अवधि के दौरान परिवहन गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप

में कुल ₹23995/– **(परिशिष्ट "ख")** एकत्रित की गई थी। इस सम्बन्ध में अवधि 27.11.07 से 31.07.08 के दौरान आय की उक्त राशि को रोकड़ बही में लेखांकन न किये जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06/2015 दिनांक 01.05.15 द्वारा जानकारी माँगी गई थी, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः अवधि 27.11.07 से 31.07.08 के दौरान E-Governance Society की विभिन्न गतिविधियों की आय–व्यय के विवरण को रोकड़ बही में लेखाकिंत न करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करने के अतिरिक्त भविष्य में प्राप्त समस्त सेवा शुल्क का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में लेखाकिंत करने के उपरान्त ही नियमानुसार उसमें से व्यय/भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त E-Governance Society, आर0एल0ए0 (निचार) भावानगर की समस्त गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों, जैसा कि दैनिक सेवा शुल्क प्राप्ति सूचना (वाहन, सारथी और ई–प्रमाण इत्यादि) की जाँच करने पर पाया गया कि **(परिशिष्ट "ख")** के अनुसार अवधि 27.11.07 से 31.03.15 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में आय की ₹689112/–एकत्रित की गई थी, जिसकी संस्था स्त्तर पर भी जाँच की जाए। परन्तु रोकड़ बही में अवधि 01.08.08 से 31.03.15 के दौरान एकत्रित कुल प्राप्ति में से केवल आय की ₹205245/– **(परिशिष्ट "क")** लेखाकिंत की गई थी। परिणामस्वरूप इन समस्त गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क की शेष ₹689112–₹205245 = ₹483867 को दिनांक 31.03.15 तक रोकड़ बही में लेखाकिंत नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में सेवा शुल्क की ₹483867/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07/2015 दिनांक 02.05.15 द्वारा जानकारी माँगी गई थी। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में उप–मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव RLA ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (निचार) भाबा नगर द्वारा मौखिक रूप सें अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त ₹483867/– में से ₹480540/– को केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओं (Central Unit Reckongpeo) को विभिन्न कार्य दिवसों को भेजा गया था। अतः उक्त वर्णित ₹483867/– को रोकड़ बही में लेखाकिंत किए बिना ही उसमें से ₹480540/– को सीधे केन्द्रीय ईकाई को भेजे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त शेष बची (₹483867–₹480540=₹3327) को भी दिनांक 31.03.2015 तक सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अब शेष ₹3327/– की वसूली ब्याज सहित उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित बैंक खाते में शीघ्र अतिशीघ्र जमा की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि सर्वप्रथम सेवा शुल्क की समस्त प्राप्तियों को रोकड़ बही में लेखाकिंत

किया जाए और उसके उपरान्त ही निर्धारित भाग को केन्द्रीय ईकाई रिकांगपिओं को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त उप मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैन्स सोसाईटी आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि E-Governance Society, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर द्वारा सेवा शुल्क से प्राप्त आय के 75**%** भाग की जिस राशि को E-Governance Socity (Central Unit) Reckongpeo, DC Office Kinnaur को भेजा गया था, उसका केन्द्रीय ईकाई के अभिलेख से मिलान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय ईकाई किन्नौर द्वारा भी समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भावानगर की सोसाईटी के खर्चो का वहन करने हेतु राशियाँ भेजी गई थी, जिसका भी केन्द्रीय ईकाई से मिलान नहीं किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि सोसाईटी द्वारा केन्द्रीय ईकाई को भेजी गई राशि तथा केन्द्रीय ईकाई द्वारा सोसाईटी को भेजी गई राशि का मासिक आधार पर मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियो से प्राप्त आय के 25% भाग के रूप में ₹102545/– को परिवहन विभाग के खाते में जमा न करवाए जाने बारे

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नैन्स दिनांक 03.09.2005 के पैरा संख्या 3 (ए) के अनुसार "25**%** of all receipts collected on account of user charges shall be deposited in Head-1055 Road Transport 800-other receipts Misc. receipts from Societies."। अर्थात परिवहन गतिविधियों से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय का 25**%** भाग उपरोक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत परिवहन विभाग के खाते के चालान द्वारा जमा करवाया जाना अपेक्षित था। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 29.11.07 से 31.03.15 के दौरान परिवहन गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप में ₹606655/– प्राप्त की गई थी। उपरोक्त अधिसूचना के पैरा संख्या 3 (ए) के अनुसार उक्त राशि के 25**%** की दर से ₹151663/– उपरोक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत परिवहन विभाग के खाते में चालान से जमा करवाई जानी अपेक्षित थी, परन्तु अंकेक्षण मे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 29.11.07 से 31.03.15 के दौरान केवल मात्र ₹49118/– को ही चालान संख्या 18 दिनाँक 13.6.13 के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा करवाया गया था। इस प्रकार इस अवधि में निम्नविवरणानुसार कुल ₹102545/– परिवहन विभाग के खाते में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा नहीं करवाई गई थी।

अवधि	परिवहन गतिविधियों से एकत्रित सेवा शुल्क के रूप में आय
अवधि 11/07 से 31.03.15	606655.00
कुल 25% भाग देय	151663.75
Less: Amount Deposited in Govt. Treasury vide Challan No. 18 dated 13.06.2013	49118.00
Amount not deposited till date	102545.75

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05/2015 दिनांक 01.05.15 द्वारा उप–मण्डल (ना) अधिकारी एवं सचिव ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, आर0एल0ए0 (निचार) भाबा नगर से ₹102545/– को राजकीय में जमा न करवाए जाने बारे सूचित किया गया था और साथ ही ऐसा किए जाने के कारणों के बारे में जानकारी माँगी गई थी, परन्तु उनके द्वारा इस बारे में कोई सूचना अंकेक्षण समाप्ति तक अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः नियमों की अनदेखी करके ₹102545/–को परिवहन विभाग के खाते में जमा नहीं करवाने जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब ₹102545/– को परिवहन विभाग के खाते में निर्धारित लेखा शीर्षक में शीघ्र अतिशीघ्र चालान के माध्यम से जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव भी दिया जाता है कि भविष्य में 25% भाग को नियमित रूप से परिवहन विभगा के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

8 प्राप्त सेवा शुल्क को देरी से बैंक खाते में जमा करवाए जाने बारे

सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को देरी से बैंक में जमा करवाया जा रहा था। इस प्रकार देरी से बैंक में राशि जमा करवाने से प्राप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्राप्त सेवा शुल्क की राशि को दिन प्रतिदिन के आधार पर बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Date of Collection	Date of Deposit	Amount
01.09.14 to 30.09.14	22.12.14	34067
01.10.14 to 31.10.14	22.12.14	22094
01.11.14 to 31.11.14	22.12.14	4098
01.12.14 to 31.12.14	03.03.15	2375
01.01.15 to 31.01.15	03.03.15	2196
01.02.15 to 28.02.15	03.03.15	3227

9 विभिन्न मदों की ₹82359/–की खरीद करने के उपरान्त स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना ही इनका उपयोग किये जाने बारे

सोसाईटी द्वारा की गई विभिन्न खरीद से सम्बन्धित व्ययों बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि E-Governance Society द्वारा अपने उपयोग हेतु समय–समय पर विभिन्न मदों का क्रय किया गया था, परन्तु इन व्यय बिलों की निम्नलिखित मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना ही सीधे ही इनका उपयोग किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि खरीद से सम्बन्धित बिलों पर कहीं भी स्टॉक रजिस्टर का कोई विवरण नहीं दिया गया था तथा इन मदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर भी आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस प्रकार खरीदी गई मदो ंकी स्टॉक प्रविष्टि किए बिना ही सीधे इनका उपयोग करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गई समस्त मदों की मदवार प्रविष्टियाँ नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में करके समय–समय पर उपयोगिता के अनुसार ही सम्बन्धित कर्मचारियों/शाखाओं को जारी की जानी सुनिश्चित की जाए तथा जिस किसी कर्मचारी को मद जारी की जाए उससे पावती के एवज में हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

Name of Firm/Bill No./Date	**Detail of Purchase**	**Vr. No.**	**Date**	**CBP No.**	**Amount**
Sagar General Store Bhaba Nagar, Bill No. 2905 Dt. 31.03.09	Stationery items	1	31.03.09	1	2000
Hind Computer Reckongpeo, Bill no. 015 dt. 20.07.09	Tonner & Drum	2	20.07.09	2	1500
Sagar General Store Bhaba Nagar, Bill No. 1317 Dt. 05-03-10	Stationery items	Nil	18.03.10	4	2405
Realtek Computer Shimla, Bill No. 3355 Dt. 03.04.10	Computer Printer Cartage	Nil	19.03.10	4	2240
Sai Communication Rampur Bill no. 3177 Dt. 21.08.10	Printer & Accessories	Nil	21.08.10	5	6370
Complete Computer Solution Rampur Bill no. 2250 Dt. 12.08.11	Computer Accessories, Tonner etc.	Nil	16.08.11	9	14030
Himtorn Micro Electronics Khalini, Shimla Bill No. 328, Dt. 05.01.2012	Computer Accessories	Nil	10.01.12		14614
Satluj Document Company Rampur Bill no. 1226 Dt. 18.11.13	Computer Accessories	Nil	11.03.14		32200
Satluj Document Company Rampur Bill no. 801 Dt. 04-02-2014	Computer Accessories	Nil	11.03.14		7000
				Total	**82359**

10 निविदाऐं आमन्त्रित किए बिना ही खुले बाजार से ₹53814 की खरीद करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न व्ययों के सम्बन्ध में जाँच करने पर पाया गया कि सामान को खरीदने से पूर्व खुले बाजार से निविदाएँ आमन्त्रित नहीं की गई थी, जिससे इस खरीद के सम्बन्ध में बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः सामान की खरीद करने से पूर्व खुले बाजार से निविदायें आमन्त्रित न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार खुले बाजार से निविदाएँ आमन्त्रित की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Name of Firm/Bill No	वाउचर संख्या	दिनांक	राशि
M/S Satluj Document Company, Rampur, Bill No. 1226 Dt. 18.11.13, Computer Accessories	Nil	11.03.14	32200
M/S Satluj Document Company Rampur Bill No. 801 Dt. 04.02.2014, Computer Accessories	Nil	11.03.14	7000
M/S Himtron Micro Electronis Khalini, Shimla, Bill No. 328 Dt. 05.01.12, Computer Accessories.	Nil	10.01.12	14614
	Total		**53814**

11 ई–गवर्नैन्स सोसाईटी द्वारा व्यय की गई ₹14500 से सम्बन्धित वाउचर/अभिलेख उपलब्ध न करवाए जाने बारे

सोसाईटी द्वारा रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 24 पर दिनाँक 04.04.14 को चैक संख्या 6989328 द्वारा भुगतान की गई ₹14500/– से सम्बन्धित व्यय वाउचर/अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिसे आवश्यक जाँच/पड़ताल हेतु प्रस्तुत करवाए जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12/2015 दिनांक 11.05.15 द्वारा अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक यह वाउचर अंकेक्षण को जाँच/पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः इन व्यय वाउचरों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 E-Governance Society द्वारा खरीदे गए विभिन्न सामान की चल तथा अचल सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि E-Governance Society द्वारा स्थाई सामान की चल तथा अचल सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि E-Governance Society निधि से जितनी भी स्थाई एवं अन्य सामग्री खरीदी गई है, उन सबकी सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण ब्यौरा देकर प्रविष्टियाँ की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान ई–गवर्नैन्स निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की मदों का नियमानुसार समय–समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि ई–गवर्नैन्स निधि से खरीदी गई स्टोर/स्टॉक की सभी मदों का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणिकाः– इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

15 निष्कर्षः– निधि लेखाओं के रख–रखाव में अत्याधिक सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 44/2015 खण्ड–1–6004–6008 दिनांक,12.10.15 शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) (निचार) भाबानगर, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई–गवर्नैन्स सोसाईटी किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

3 निदेशक, परिवहन विभाग, हि0प्र0 शिमला–04

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.